

न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

142/2026 मु0फो0

सरकार बनाम गटुलाल वगैरा



दिनांक 11.03.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। प्रकरण संख्या 261/2022 रे0फो0 पृथ्वीसिंह बनाम गटुलाल में गैर सायल/अभियुक्त गटुलाल के दिनांक 10.09.2024 को अनुपस्थित रहने से उनके जमानत मूचलके जप्त कर अर्न्तगत धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही किये जाने का आदेश होने से यह पत्रावली पृथक से खोली गयी। प्रकरण मु0फो0 दर्ज रजिस्टर होवे।

गैरसायल/अभियुक्त गटुलाल व जामीन की और से जवाब पेश हुआ। जवाब व मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसायल/अभियुक्त दृष्टिगत रखते हुये गैर सायल/अभियुक्त गटुलाल एवं जामीन के जमानत मूचलको में से 800/- रुपये जप्त सरकार कर जूरमाना किया जाता है। शेष राशि जमानतनामा व मूचलकानामा माफ की जाती है।

आदेशानुसार जूरमाना राशि 800/- रुपये जरीये ई चालान नंबर जीआरएन 0119780551 दिनांक 11.03.2026 से जमा कराये जाकर चालान की प्रति पेश की। शामिल पत्रावली रहे।

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल अभिलेखागार होवे।

६०
(हरिश मेनारिया)
सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
जिला अति. कार्यभार 3628

11/3/26